

# राजस्थान सरकार

GA117

जिला: हनुमानगढ

राजस्व की वापसी

लेख मद (ए) : 0030

राजस्व की वापसी

किसके नाम में जमा की गई	राशि जमा करने का प्रयोजन	रकम जो जमा की गई	कोषागार में जमा की तिथि	रकम जिस में वापस किये जाने वाला रुपया शामिल थाऔर हिसाब की मद जिसमें रकम जमा की गई थी	कोषागार में जमाकिये जाने की जांच के लिए कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर	नाम पानेवाले का	रकम को वापस करनी है
1	2	3	4	5	6	7	8
	स्टाम्प क्रय हेतु		स्टाम्प विक्रेता से क्रय	0030			
						योग	
						शब्दों में रुपये मात्र	

उन दशाओंमें जब जुर्माने के वापसी की आज्ञा सीधी उन कोषों को दी जाती है जिन पर रुपया जमा नहीं कराया गया है तो कॉलम 5 के लेख में कोष या उप कोष का नाम जिस पर रकम जमा कराई गई है दिया जावे और कालम 6 की पूर्ति जिला कोष नम्बर की उप कोष के कोषाध्यक्ष को करना है ।

## CERTIFICATE

प्रमाणित किया जाता है कि वापसी की यह आज्ञा विभागीय हिसाब में रजिस्टर में असल प्राप्ति इन्द्राज क्ष सामने लिख दी गई है जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं और इसी रकम की वापसी के पहले कोई और आज्ञा नहीं दी गई है।

उप महानिरीक्षक व क्लैक्टर (मुद्रांक)

भुगतान के लिए स्वीकृति दी (आज्ञा दी) .....दिनांक.....

स्वीकृति दी व भुगतान के लिए आदेश दिया।

Received Payment

<p>रकम पाने वाले रसीद भुगतान किया</p> <p style="text-align: center;"><b>*</b></p> <p>हस्ताक्षर</p> <p>तिथि.....</p>	<p>कोषागार उपयोग हेतु</p> <p>जांच किया</p> <p>कोषालय लेखापाल</p>	<p>Claimant's Signature</p> <p>दीजिये ता.....</p> <p>कोषाध्यक्ष</p>
---	--	---

नॉन बैंक कोषागार उपयोग हेतु भुगतान दिया  
रु.

स्वीकृत

महालेखापाल कार्यालय के उपयोग हेतु

अस्वीकृत

तिथि

बैंक उपयोग हेतु

खजान्ची

भुगतान दिया रु.

**Bank Seal**

बैंक मैनेजर

ऑडिटर सुपरिटेन्डैन्ट